


XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1340-11/15

जिला- सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>13-1-15</p>	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p>(एम. को सिंह) सदस्य</p>



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

२२८/०१३४०-११-१९

Handwritten: १-६-१५

Handwritten: १-६-१५

राकेश एजेन्सी जैतवारा जिला-सतना म.प्र. द्वारा
श्री ओमप्रकाश बंसल, निवासी-जैतवारा
तहसील-बिरसिंहपुर, जिला-सतना
विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. श्री रामचन्द्र बंसल पुत्र हीरालाल बंसल
निवासी-जैतवारा तहसील-बिरसिंहपुर जिला-सतना

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम-32 के अधीन
आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक-आर 35-तीन/2010 मारनीय न्यायालय के समक्ष
दिनांक 26-03-2015 को नियत था.
2. यह कि, नियत दिनांक 26-03-2015 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय
के अनुसार सामुहिक रूप से कार्य से विरत थे आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस
कारण आवेदक नियत दिनांक 26-03-2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम
पेस्वी में खारीज हो गया इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई माह के तीसरे
सप्ताह में खारीज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चरसा करने पर हुयी जानकारी
दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है.
3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणागुण पर सुनवायी की जाकर निर्णय
किया जाना न्यायोचित होगा.

अतएव प्रार्थना है कि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक-आर
35-तीन/2010 पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण के गुण-दोषों पर सुनवायी किये जाने के
आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें.

इति दिनांक: 30/5/2015

आवेदकगण

Handwritten signature: श्री ओमप्रकाश बंसल

(एस.के. वाजपेयी)